पत्रांक –3/एम०– 14/2021सा0प्र0 5243 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12.5. 2021

विषय– विभागीय कार्यवाही संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रक्रिया एवं प्रावधानों का निर्धारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005(समय–समय पर यथासंशोधित) में किया गया है। उक्त नियमावली के क्रम में प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों के संदर्भ में कतिपय स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन निर्गत किये गये हैं जिनका विस्तृत उल्लेख पत्रांक–1893 दिनांक–14.06.2011 में किया गया है। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक–10798 दिनांक–04.08.2014, पत्रांक–17696 दिनांक–23.12.2014, पत्रांक–12787 दिनांक–22.08.2015, पत्रांक–12196 दिनांक– 07.09.2016, पत्रांक–8237 दिनांक–06.07.2016, पत्रांक–10875 दिनांक–24.08.2017, पत्रांक–15548 दिनांक–06.12.2017, पत्रांक–6210 दिनांक–14.05.2018, पत्रांक–6727 दिनांक–08.07.2020, पत्रांक–1031 दिनांक–25.01.2021 एवं पत्रांक–4162 दिनांक–25.03.2021 जो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं, द्वारा भी कतिपय महत्त्वपूर्ण अनुदेश निर्गत किये गये हैं।

2. परन्तु फिर भी ऐसे कतिपय मामले संज्ञान में आ रहे हैं जिसमें आरोपित सरकारी सेवक, जिनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित है, द्वारा संचालन पदाधिकारी को इस आधार पर विभागीय कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया जा रहा है कि उनके द्वारा माननीय न्यायालय में विभागीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु वाद दायर किया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय अभिमत की भी अपेक्षा की गयी है।

3. उल्लेखनीय है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) अथवा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के प्रावधान के आलोक में किसी आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संचालन पदाधिकारी द्वारा मात्र इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है कि उक्त विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु आरोपित सरकारी सेवक द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका दायर किया गया है।

किसी आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध उसके द्वारा दायर वाद में संबंधित न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किये जाने पर ही संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा कोई विधिसम्मत् निर्णय लेते हुए तदनुसार संचालन पदाधिकारी को अवगत कराया जा सकता है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित संचालन पदाधिकारी को दिये गये निदेश के आलोक में ही संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुसरण करने की कृपा की जाय। साथ ही अपने अधीनस्थों को भी उक्त से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।